उत्तरित

(268)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स न0 **(0135) -2713724**फोन न0**(0135) –** 2713551

संख्या 2102 **/ XXV–12(P-14) / 2021 देहरादून : दिनांक** 04 ~~मार्च,~~ अप्रैल **2024**

सेवा में,

डा0 जे0 सी0 पाण्डे,
जलागम प्रबंधन निदेशालय
इंदिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी
देहरादून 248006

पंजीकृत

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–631 दिनांक 21 मार्च, 2024 के साथ संलग्न डा0 जे0 सी0 पाण्डे का अनुरोध पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 22.03.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचना के अधिकार में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:–

बिन्दु सख्या–	**सूचना का विवरण**
बिन्दु–1,2	1 (एक) पेज में

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

भवदीय,

B S Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

ELE-ELE/COND(LS)/7/2024-ELECT-1-Election Department

/200089/2024

उत्तराखण्ड शासन
निर्वाचन विभाग
संख्या : 1432/ XXV-07 / 2024
दिनांक : 18 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC//2024 दिनांक 16 मार्च, 2024 के आलोक में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 के सम्पादनार्थ निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता संबंधी विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण एवं आयोग को संदर्भित किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुवीक्षण समिति (Screening Committee) गठित की जाती है–

क–	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष।
ख–	विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव (जिस विभाग से संबंधित प्रकरण पर आदर्श आचार संहिता के संबंध में मार्गदर्शन अपेक्षित हो)	–	सदस्य।
ग–	सचिव, सामान्य प्रशासन (समन्वयक विभाग)	–	सदस्य।

2– उक्त के संबंध में आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि, आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण / प्रस्ताव पर आयोग की अनुमति प्राप्त किये जाने के लिए प्रकरण को आयोग को प्रेषित किये जाने के पूर्व उक्तानुसार गठित अनुवीक्षण समिति आयोग के तद्विषयक दिशा–निर्देशों के आलोक में प्रकरण / प्रस्ताव का भली–भाँति परीक्षण करेगी और परीक्षणोपरान्त यह सुनिश्चित करेगी कि प्रकरण की अविलम्बता क्या है, इसके लिए मतदान / निर्वाचन की समाप्ति तक प्रतीक्षा क्यों नहीं की जा सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को पूर्ण विवरण / आवश्यकता पर एक नोट / स्पष्ट अभिमत को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग के मार्गदर्शन / अनुमोदन हेतु सन्दर्भित किया जायेगा।

Signed by Radha Raturi
Date: 18-03-2024 11:11:05

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव।

संख्या : 1432/ XXV-07 / 2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली
2. निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आयोग के आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शी सिद्धान्तों / दिशा–निर्देशों के अनुसार पत्रावलियां / सन्दर्भ सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित न किए जायं बल्कि यदि कोई आवश्यक हो तो उक्तानुसार प्रकरण केवल विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव के माध्यम से ही स्क्रीनिंग कमेटी को संदर्भित करने का कष्ट करें। कृपया इस संबंध में अधीनस्थ विभागों को भी यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
   - i. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
   - ii. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
   - iii. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
   - iv. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
   - v. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
   - vi. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
   - vii. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 18-03-2024 11:27:30

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

22/3/24
पत्रवाहक/~~पंजीकृत~~

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

पत्रांक– 631 /आर0टी0आई0/4183/2024 दिनांक 21 मार्च, 2024

"सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिाकरी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री डॉ0 जे0 सी0 पाण्डे, जलागम प्रबंधन निदेशालय, इंदिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अनुरोध–पत्र दिनांकरहित राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 20.03.2024 को प्राप्त हुआ है तथा अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार आवेदन शुल्क रू0 10.00 एवं अवशेष अतिरिक्त शुल्क रू0 90.00, कुल रू0 100.00 मूल्य का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

चूंकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाएं आपके विभाग से भी संबंधित हैं, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7302254903

संख्या– 631 /सू0का0अ0/4183/2024 तद्दिनांक। (पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री डॉ0 जे0 सी0 पाण्डे, जलागम प्रबंधन निदेशालय, इंदिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

R- 1149 / दिनांकरहित
F- 4183/2024

243
20/3/24

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन,
लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड)
देहरादून 248008

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मुझे आदर्श आचार संहिता के दौरान निम्न बिंदु/स्थिति के सम्बन्ध में चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार जानकारी प्रदान करने की कृपा करें –

1. किसी सरकारी विभाग द्वारा अनुबंध के आधार पर कंसलटेंट/विशेषज्ञ की नियुक्ति किए जाने हेतु, चयन सम्बन्धी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाने, परिणाम घोषित कर दिए जाने तथा चयनित कैंडिडेट को विभाग की ओर से ज्वाइनिंग पत्र प्रेषित कर दिए जाने एवं सम्बंधित को पत्र प्राप्ति के पश्चात, तकनीकी कारणों से ज्वाइनिंग में लगने वाले समय के मध्य यदि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, तो क्या कंसल्टेंट द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि में ज्वाइन कर लिए जाने पर क्या चुनाव की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति बनती है, अथवा नहीं? कृपया तत्सम्बन्धी प्राविधानों के आलोक में सुस्पष्ट लिखित जानकारी/टिप्पणी प्रदान करने की कृपा करें।
2. कृपया चुनाव की आदर्श आचार संहिता में उक्त स्थिति से सम्बंधित निर्धारित प्राविधानों से सम्बंधित पृष्ठों की छायाप्रति भी संलग्न कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मुझे उक्त सूचना प्रदान करने की कृपा करें। सम्बंधित छायाप्रतियों के प्रेषण को ध्यान में रखते हुए कुल रु 100 (रु 50 +50 =रु100) के पोस्टल आर्डर संलग्न हैं।

संलग्नक –

1. पोस्टल ऑर्डर सं0 –092605=रु 50
2. पोस्टल ऑर्डर सं0 –092606=रु 50

श्री बडोनी
कृ० इस अनुरोध पत्र की प्रति लोक सू० अ० मुख्य निर्वाचन अधि० उत्तराखण्ड को भी अन्तरित करें।
20.3.2024
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

भवदीय

डॉ जे सी पाण्डे
जलागम प्रबंधन निदेशालय,
इंदिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी,
देहरादून, 248006

20.03.2024